रामगंजमण्डी, जिला

19/3/25 [illegible] 3001 कुलजिमान [illegible] वकील [illegible],
गवाह PW 20 ओमप्रकाश व PW-21 नारायण के
बयान लेकर बन्द किए गए। गवाह नं. 22 को कुर्क
अमीन B/W 15000/- से तलब किया जावे, बयान
हेतु लिखा जावे व साक्ष्य प्रकरण नियमानुसार
चिन्हित प्रश्नों में से है, अतिरिक्त गवाह 6) अतः
तामील आवश्यक रूप से करवाई जावे तामील
का रिटर्न शीघ्र भेजी जावे। पत्रावली वादी [illegible]
अग्रिम दि० 9/4/26 को पेश हो।

अपर सेशन न्यायाधीश
रामगंजमण्डी जिला कोटा

[illegible]

[illegible]